

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 4(4)ग्रावि/नरेगा/सा.अंके./09

जयपुर, दिनांक

14/9/09

जिला कलेक्टर, एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त राजस्थान।

विषय:—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत आम जनता को सूचना
उपलब्ध करवाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

प्रसंग:—इस विभाग के संसख्यक पत्रांक एफ 4(4)ग्रावि/नरेगा/गुप-3/सा.अंके./09
दिनांक 20.04.09

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संबंध में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2008-2009 में रोजगार उपलब्ध करवाये गये समस्त परिवारों का विवरण मय मजदूरी भुगतान एवं सामग्री के उपयोग तथा उस व्यय पर राशि की सूचना प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन /सर्वोच्च राजकीय विद्यालय/आंगबाड़ी व अन्य सार्वजनिक स्थान आदि की बाहरी दीवारों पर जो सहज दृष्टिया हो, लिखवाने के निर्देश दिये गये थे। इस सूचना के लिखवाने के लिए प्रति नियोजित परिवार हेतु तीन रूपये की राशि व्यव करने की स्वीकृति दी गई थी परन्तु अधिकांश अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारियों ने इस विभाग को अवगत करवाया है कि उक्त कार्य तीन रूपये प्रति परिवार के हिसाब से कोई भी पेंटर कार्य करने को तैयार नहीं है। अतः कार्य की व्यवहारिकता को देखते हुये उक्त कार्य करवाने हेतु तीन रूपये प्रति परिवार के स्थान पर नियमानुसार न्यूनतम न्यायोचित राशि प्रति परिवार व्यय करने की अनुमति दी जाती है। परन्तु प्रासंगिक अनुसार सूचनाएं दिनांक 28.09.09 तक हर स्थिति में लिखवाकर अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी
अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान को पालनार्थ।

आयुक्त, ईजीएस